Telephone No.-07423-292090
Email Id.-dcourtnee-mp@nic.in

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच (म.प्र.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक–63–/लेखा/2022 नीमच, दिनांक–12/02/2022

कोविड–19 महामारी के नए वेरिएंट ओमीकॉन के अत्यधिक तीव्रता से फैलने के फलस्वरूप कार्यालयीन आदेश कमांक 13/लेखा/2022, नीमच दिनांक 08.01.2022 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर द्वारा जारी विज्ञापन कमांक 120/परीक्षा/21, जबलपुर दिनांक 26.10.2021 अनुसार मध्यप्रदेश राज्य के जिला एवं सत्र न्यायालयों की स्थापनाओं पर चतुर्थ श्रेणी (वाहन–चालक,भृत्य/चौकीदार/ जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु जिला स्थापना पर दिनांक 15.01.2022 को आयोजित होने वाले साक्षात्कार आगामी आदेश तक के लिए स्थगित किये गये थे।

वर्तमान में कोविड–19 संक्रमण का प्रभाव कम होने, माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पत्र कमांक सी/463 दिनांक 11.02.2022 द्वारा भौतिक सुनवाई हेतु न्यायालय खोले जाने के निर्देशों तथा म.प्र. शासन द्वारा भीड़ एकत्रित होने पर लगाये गये प्रतिबंध को शिथिल किये जाने के फलस्वरूप स्थापना पर चतुर्थ श्रेणी (वाहन–चालक,भृत्य/चौकीदार/जलवाहक, माली एवं स्वीपर) कलेक्टर रेट/आकस्मिकता निधि से वेतनभोगी कर्मचारी सीधी भर्ती/नियुक्ति हेतु साक्षात्कार आयोजन हेतु तिथि दिनांक 27.02.2022 नियत की जाती है।

तद्नुसार परीक्षा सेल/सेवा प्रदाता को सूचना हेतु आदेश प्रति प्रेषित की जावे।

(राजवर्धन गुप्ता)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच (म.प्र.)

पृष्ठां. क्रमांक–445–/लेखा/2022 नीमच, दिनांक–12/02/2022

प्रतिलिपि :–

01– श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर।

02– श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मान. उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर की ओर माननीय पोर्टफोलियो न्यायाधिपति (जिला नीमच) मान. उच्च न्या. खण्डपीठ इंदौर के समक्ष रखे जाने हेतु सादर सूचनार्थ।

03– श्रीमान् प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर की ओर अभ्यर्थिगण को साक्षात्कार तिथि की सूचना जर्ये एस.एम.एस./ई–मेल से प्रदायगी बाबत् सेवा प्रदाता को निर्देशित किये जाने बाबत्सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

04– जे.एस.ए./सिस्टम असिस्टेंट, कम्प्यूटर अनुभाग नीमच की ओर उच्च न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड एवं न्यायालयीन वाट्सअप ग्रुप पर सूचनार्थ हेतु।

05– जनसंपर्क अधिकारी, नीमच की ओर आदेश की प्रति साक्षात्कार आयोजन पुनः प्रारंभ किये जाने की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशन कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।

06– साक्षात्कार समिति, नीमच की ओर सूचनार्थ।

07– श्रीमान् प्रभारी अधिकारी नजारत अनुभाग नीमच की ओर संबंधित कर्मचारी के माध्यम से न्यायालयीन सूचना पटल पर सूचनार्थ चस्पा किये जाने हेतु।

087 लेखापाल, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश नीमच की ओर सूचनार्थ।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
नीमच (म.प्र.)

Scanned with CamScanner